

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश /1343 /2019

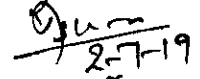
दिनांक :02.07.2019

श्री रोहित सक्सेना (RJ0861), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज (बारां) को दिनांक 16.07.2019 से 30.07.2019 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री सक्सेना की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज (बारां) के पद पर ही होने की सम्भावना है ।

आज्ञा से


2-7-19

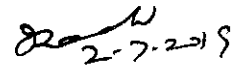
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/31/2015/6010

दिनांक :02.07.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 2354 दिनांक 11.06.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री रोहित सक्सेना (RJ0861), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज (बारां) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज (बारां) ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां ।


2-7-2019

सहायक रजिस्ट्रार